राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला–भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या :– 366/24

कालू कंवर पत्नी बीजु सिंह सम्पूर्ण निवासी दहियाणा, तह0करेड़ा भीलवाड़ा
प्रार्थी

बनाम

1. जसवन्त सिंह पुत्र बगनीराम सिंह सम्पूर्ण नि0 दहियाणा, तह0 करेड़ा भीलवाड़ा
विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: दिनांक 7/1/25

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत निवेदन किया कि ग्राम दहियाणा पटवार हल्का दहियाणा तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त तों की खाता संख्या..... आराजी नम्बर खाता सं. 520 आराजी 1414, 1415, 1416/2, 1764/1417, 1765/1417, खाता सं. 521 आराजी 1417 कुलकिता..... रकबा.....हैक्टेयर भूमि त है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन ना सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की रगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 25/11/24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी ने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी का अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... दहियाणा..... पटवार हल्का..... दहियाणा..... तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या आराजी नम्बर खाता सं. 520 आराजी 1414, 1415, 1416/2, 1764/1417, 1765/1417, खाता सं. 521 आराजी 1417 कुलकिता..... रकबा..... हैक्टेयर भूमि चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक. को 7500 /– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर स प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल ड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

लग्नः– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

तलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी